

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234391
SG-DL-E-23032022-234391

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2022/चैत्र 1, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 556
No. 188]	DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2022/CHAITRA 1, 1944	[N. C. T. D. No. 556

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2022

सं. 19/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(165)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/197.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 02/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित राखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताजा, जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताजा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"97क	2009 89 90	टेंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,— (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या (ख)जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
------	------------	---

(v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 02/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03()/वित्त (राजस्व—I)/2021—22/डीएस— I/, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग—IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2021—राज्य कर (दर), दिनांक 6 जनवरी ,2022 सं0फा0 03(144)/वित्त (व्यय— I)/2021—22/डीएस— I/14, दिनांक 6 जनवरी ,2022 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग—I में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव—I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 2022

No. 19/2021-State Tax (Rate)

No. F. 3(165)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/197.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government in the Department of Finance (Expenditure-I), No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry "0303,0304,0305,0306,0307,0308,0309" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia

nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled” shall be substituted;

- (iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]”;
------	------------	---

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry “8807” shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.

Note : The principal notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *videnumber* F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374 , dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* Notification No. 09/2021-State Tax (Rate) dated the 6th January, 2022, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(144)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/14 , dated the 6th January, 2022.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)